

कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स रुद्रप्रयाग ।

स्वामी सचिदानन्द नगर, रुद्रप्रयाग, दूरभाष/फैक्स नं०-01364-233064,

ईमेल-dchgrp@gmail.com

पत्रांक : महिला भर्ती / हो०गा / 2023-24 / 174

दिनांक : अगस्त, 02-2023

‘विज्ञप्ति’

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 100523/XX(2)/23-02(04)/2023 गृह अनुभाग-2 दिनांक: 20 फरवरी, 2023 एवं शासनादेश संख्या: 140946/XX(2)/23-25(हो०गा०)/2014 गृह अनुभाग-2 दिनांक: 26 जुलाई, 2023 के अनुपालन में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: सीजी-210/हो.गा./2022/2206 दिनांक: जुलाई 27, 2023 तथा पत्रांक: सीजी-210/हो.गा./2022/2207 दिनांक: जुलाई 27, 2023 के अनुपालन में जनपद रुद्रप्रयाग की नवसृजित महिला होमगार्ड्स के कुल 32 पदों अनाक्षित (UR)-17, अनुसूचित जाति (SC)-07, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)-04, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)-03, अनुसूचित जनजाति (ST)-01 पर भर्ती हेतु केवल जनपद रुद्रप्रयाग के सम्पूर्ण क्षेत्र के स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र धारक इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निगुलक आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरकर दिनांक: 23.08.2023 की सायं 05:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या डाक के माध्यम से कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स रुद्रप्रयाग, पता स्वामी सचिदानन्द नगर, नियर एच०एफ०सी० बैंक पिन कोड-246171 रुद्रप्रयाग, में जमा कर सकते हैं। भर्ती सम्बन्धी आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स रुद्रप्रयाग एवं सम्बन्धित क्षेत्र के प्रमुख कार्यालयों स्थित सूचना पट तथा विभागीय फेस बुक पेज-HOMEGUARDS RUDRAPRAYAG से भी डाउनलोड किये जा सकता है।

1. महिला होमगार्ड्स स्वयं सेवक की भर्ती जनपद रुद्रप्रयाग के सम्पूर्ण क्षेत्र से की जायेगी। अतः आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जनपद पौड़ी में होमगार्ड्स की भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी जनपद रुद्रप्रयाग की स्थायी निवासी हो। अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु नियमानुसार जनपद रुद्रप्रयाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
2. महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवक की जब-जब प्रशासन को ड्यूटी हेतु आवश्यकता होगी, ड्यूटी पर बुलाया जायेगा तथा जितने दिन ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे, उतने दिन का शासन द्वारा निर्धारित दैनिक ड्यूटी भत्ता के साथ साथ शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं धुलाई भत्ता (मजदूरी) देय होगा।
3. एक अभ्यर्थी का एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा एक से अधिक आवेदन पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया से निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदन पत्र जिला होमगार्ड्स/ब्लॉक/तहसील/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला सेवायोजन/जिला सूचना अधिकारी/सोलजर बोर्ड आदि कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रारूप के अनुसार स्वयं टंकित कराकर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
5. आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तारीख - दिनांक: 23.08.2023 की सायं 05:00 बजे तक।
6. शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम के सूचना पट्ट पर पृथक से निर्गत किया जायेगा। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. शैक्षिक योग्यता :- महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवक पद के लिये अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
8. आयु सीमा:- अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01.07.2023 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
9. उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या-1399 दिनांक: 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
10. उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिये शासनादेश संख्या-1244 दिनांक: 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
11. अधिसूचना संख्या 6/01/72 कार्मिक-2 दिनांक: 25.04.1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति है।
12. आरक्षण :- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य है, जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। आरक्षण का लाभ सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।
13. -शारीरिक अर्हता/मापदण्ड :-

मानक	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊँचाई (महिला हेतु)	152 से०मी०	147 से०मी०	147 से०मी०

14. वजन:- महिला अभ्यर्थी का वजन न्यूनतम 45 कि०ग्रा० होना आवश्यक है।

नोट:- शारीरिक मानकों में छूट के लिये अनुमन्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र यथा (अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण-पत्र) धारित होना चाहिये।

15. शारीरिक चयन प्रक्रिया:-

(अ) शारीरिक मापदण्ड- शारीरिक मापतोल में असफल अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(ब) शारीरिक दक्षता परीक्षा- शारीरिक परीक्षा के अंक अन्तिम मैरिट सूची में जोड़े जायेंगे तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित आर्टम क्रमवार कराये जायेंगे-

क्र० सं०	ईवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
01	दौड़ व चाल 500 मीटर (पूर्णांक-10)	3.6-04 मिनट	05
		3.1-3.5 मिनट	06
		2.6-03 मिनट	08
		2.5 मिनट तक	10
02	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक-10)	15 मीटर	05
		20 मीटर	06
		25 मीटर	07
		30 मीटर	08
		35 मीटर	10
03	लम्बी कूद (पूर्णांक-10)	08 फिट	05
		09 फिट	06
		10 फिट	07
		11 फिट	08
		12 फिट	10

उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड-तालिका में उल्लिखित आर्टम क्रमवार कराये जायेंगे तथा तथा किसी भी आर्टम में न्यूनतम अहर्ता (Un-Qualifying) प्राप्त न कर पाने वाले अभ्यर्थी को वहीं से अनर्ह/अनुपयुक्त घोषित करते हुये चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

16. एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्काउट गाईड के प्रमाण पत्र धारक/उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक/अवैतनिक सदस्यों के पुत्री या पत्नी (जैसी स्थिति हो) के लिये निर्धारित अंक :

क- एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्काउट गाईड - 03 अंक।

ख- एन०सी०सी०-सी प्रमाण-पत्र - 05 अंक।

ग- होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त/कार्यरत सदस्यों के अविवाहित पुत्री, पत्नी के लिये - 05 अंक।

(उत्तराखण्ड होमगार्ड्स के उन्ही वैतनिक/अवैतनिक सदस्यों के पुत्री या पत्नी को उक्तानुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किये जायेंगे, जबकि सम्बन्धित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग में पूर्ण की गयी हो।)

17. शैक्षिक योग्यता :- अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल रखी गयी है एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे :-

हाईस्कूल	08 अंक
इण्टरमीडिएट	08+01 अंक
स्नातक	08+02 अंक

18. खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित है, जो निम्नानुसार दिये जायेंगे :-

जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी - 02 अंक

मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी - 03 अंक

राज्यस्तर का खिलाड़ी - 05 अंक

जिला/महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी को सम्बन्धित कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिलास्तर के खिलाड़ी हेतु जिला क्रीडा अधिकारी अथवा मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, विश्व विद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्रीडा अधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्ट्स एसोसिएशन अथवा उत्तराखण्ड खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

19. वाहन चालक :- वाहनों के वैद्य झाइविंग लाईसेंस धारक को 05 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे, किन्तु यह आवश्यक होगा कि झाइविंग लाईसेंस भर्ती की विज्ञापन तिथि से 01 वर्ष पूर्व का हो :-

क- भारी वाहन चालक	- 05 अंक
ख- हल्का वाहन चालक	- 03 अंक

20. परीक्षाफल :- शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों तथा सम्बन्धित श्रेणी के लिये नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत रिक्त के सापेक्ष अन्तिम मैरिट सूची बनायी जायेगी। रिक्तियों के सापेक्ष परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता, एवं अधिमान अंकों को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों, वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, का चयन किया जायेगा। यदि 02 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

योग्यता	अधिकता देय अंक
शारीरिक दक्षता	30
शैक्षिक योग्यता	10
एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड	05
होमगार्ड्स के अत्यंतिक व वैतनिक सेवा निवृत्त/कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए	05
खेलकूद	05
वाहन चालक	05
कुल योग—	60

21. स्वास्थ्य परीक्षण- चयनित होमगार्ड्स का स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। दृष्टि एक आंख से 6/6 और दूसरी आंख से 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् बिने चश्मे के दाहिने से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 तथा बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बांये आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण-अन्धता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बो-लेग, वेरीकोस वेन, दिव्यांगता और अन्य विकृतियाँ जो ड्यूटी में बाधा पैदा करें ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य माना जायेगा। अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जायेगा। किसी भी संशय की स्थिति में प्रकरण को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

22. चरित्र सत्यापन :- महिला होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के रूप में अन्तिम रूप से चयनित किये गये एवं चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन पुलिस प्रमाणीकरण के आधार पर किया जायेगा।

23. अन्तिम रूप से चयनित महिला होमगार्ड्स को होमगार्ड्स अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन प्रारम्भिक नियुक्ति 03 वर्ष के लिए होगी, जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी सम्मिलित है जो बाद में होमगार्ड्स स्वयंसेवक की सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

24. अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए व्यक्तिगत रूप से अवगत नहीं कराया जायेगा।

25. होमगार्ड्स भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा भर्ती के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए होमगार्ड्स विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

26. अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों की जांच कर अनुपयुक्त/निरस्त अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक मापदण्ड परीक्षा से पूर्व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।

27. होमगार्ड्स भर्ती में सम्बन्धित समस्त निर्णय एवं अधिकार भर्ती बोर्ड के अधीन निहीत एवं सुरक्षित रहेंगे।

28. महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवक पद के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है:-

आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

1- 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीनफोटो (स्वप्रमाणित)।

2-समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जिसमें किसी एक में जन्मतिथि अंकित हो तथा आयु प्रमाणित हो रही

3-स्थायी निवास प्रमाण-पत्र(सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

4-आरक्षण हेतु प्रमाण-पत्र(सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

5- पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण-पत्र(सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

6-खेलकूद एवं एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड या अन्य कोई गतिविधि प्रमाण-पत्र(यदि हो)। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पिता/पति के होमगार्ड्स विभाग में होने का प्रमाण-पत्र(यदि कोई हो) स्वप्रमाणित छायाप्रति।

7-वाहन चालन सम्बन्धी वैध अनुज्ञप्ति।(यदि कोई हो) स्वप्रमाणित छायाप्रति।


8-अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त/राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(निर्मल जोशी)

जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
5. मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन रुद्रप्रयाग /समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष रुद्रप्रयाग।
7. समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8. जिला सूचना अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस अनुरोध के साथ कि, कृपया उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क जनहित में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
9. जिला सेवायोजन अधिकारी/जिला सैनिक कल्याण पुर्नवास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
10. समस्त अवैतनिक अधिकारी शहरी/ग्रामीण प्लाटून होमगार्ड्स, रुद्रप्रयाग को भर्ती के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
11. जिला होमगार्ड्स कार्यालय के नोटिस बोर्ड चर चस्पा हेतु।


(निर्मल जोशी)
जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स
रुद्रप्रयाग।